

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

10न0:- 467 / 2025

1 अमरसिंह पुत्र हरलाल जाति मेघवाल निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्

1. दौलतराम } पि० हरलाल जाति मेघवाल निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी
2. सुरेन्द्र कुमार } जिला हनुमानगढ ।
3. सुमित्रा पुत्री हरलाल पत्नी छबीलाराम } जाति मेघवाल निवासी डूंगराना तहसील
4. शकुन्तला पुत्री हरलाल पत्नी किरसन } भादरा जिला हनुमानगढ ।
5. धापली पुत्री हरलाल पत्नी हजारीराम जाति मेघवाल निवासी रुपनगर, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ ।
6. सुनिता पुत्री शारदा पुत्री हरलाल पत्नी जयसिंह जाति मेघवाल निवासी ढींगसरा तहसील व जिला फतेहाबाद ।
7. मोहनलाल पुत्र शारदा पुत्री हरलाल पुत्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक 11/11/20


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रतनलाल शर्मा व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क.वादी अमरसिंह को प्राप्त आराजी :- चकनं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 223/381 मु० 7 किलानं० 1/.253, 10/.181 है० दक्षिण दिशा कुल 0.434 है०


ख. प्रतिवादीसं० 1 दौलतराम को प्राप्त आराजी :- चकनं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 223/ 381 मु० 7 किलानं० 10/.072, 12/.034, 9/.164, 8/.164 है० कुल 0.434 है० ग. प्रतिवादी सं० 2 सुरेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 बी. आर. एन. के प०न० 223/381 मु० 7 किलानं० 11/.253, 12/.181 है० उत्तर दिशा कुल 0.434 है०

घ. चकनं० 11 आर.डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 141/68 में अंकित कुल 0.759 है० में हरलाल के नाम की 1/6 हिस्सा की आराजी में से वादी 1) अमरसिंह व प्रतिवादीगण सं० 1 दौलतराम, प्रतिवादीसं० 2 सुरेन्द्र कुमार तथा प्रतिवादी सं० 7 मोहनलाल प्रत्येक को 1/4 हिस्सा यानि बहि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक न० चक नं० 11 आर. डबल्यू डी के खाता सं० 141/68 व चकनं० 1 बी.आर.एन. के खाता सं० 48/45 में से हरलाल का नाम

कलमजन किया किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे, तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बँक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।